L.T.I. मुलजिम

...को पेश हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

7-1-16

पत्रावली [illegible] ... [illegible]
[illegible]
अधिकारी [illegible]
... पत्रावली [illegible]
को पेश हो।

15-2-16

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

15.2.16	बकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.3.16 को पेश हो।
16.3.16	बकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 5.5.16 को पेश हो।
10/6/16	पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मारवाड़ जंक्शन में पेश हुई। [illegible] गवाह PW1, PW2 के बयान कलमबद्ध कराये गये। मजमा आम पुकार [illegible] नाम [illegible] विभाग में [illegible] जो पुनः दर्ज कराये, [illegible] स्पष्ट है। इस [illegible] दावा डिक्री करना उचित समझता हूँ। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली इसी कदर [illegible] अनुसार बाद तकमील जाब्ता सेक्शन भण्डार जमा हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : ~~60/2016~~ 76/10

वादी :- बनाम प्रतिवादी:-

पकाराम उर्फ पुखराज गोदपुत्र नथाराम कौम सीरवी निवासी नारलाई

1. चुनाराम पुत्र कुपाजी
2. वीरमराम पुत्र कुपाजी
3. वेलाराम पुत्र कुपाजी
4. नेनाराम पुत्र कुपाजी
5. चेनाराम पुत्र रूपाजी
6. घीसा पुत्र हकाजी
7. चमनी पत्नी भगाजी
8. शोभाराम पुत्र भगाजी
9. वगताराम पुत्र भगाजी
10. पेमाराम पुत्र भगाजी
11. राजीदेवी पुत्री भगाजी
12. नोजीदेवी पुत्री भगाजी
13. पाबुदेवी पुत्री भगाजी
14. पेमा पुत्र भीमाजी
    अमरा पुत्र भीमाजी
    रकबा पत्नी भीमाजी
15. बदा पुत्र मोटाजी
16. जगा पुत्र मोटाजी
17. जीवाराम पुत्र सुजाजी
18. मांगीलाल पुत्र सूजाजी
19. फूलीबाई पत्नी सूजाजी
20. धनकी पुत्री सूजाजी
21. दाकू पूत्री सूजाजी
22. राजस्थान सरकार तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955एवं अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956 तारीख रजू: 17/08/2010

उपस्थितः. वादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/06/2016

"लोक अदालत / कैम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत देसूरी पर आयोजित लोक अदालत / कैम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नारलाई के बेरा ढेडावा के खसरा नम्बर 1943,2003,2006 से 2010,2051 से 2060 तक में स्थित 1/12 हिस्सा अर्थात वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी 1/12 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अर्थात बेरा ढेडावा में 1/48 वां हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की घोषित करने हेतू वाद मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

पटवारी हल्का नारलाई व भू.अ.नि देसूरी की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा वादी के पिता का नथाराम फौत होने पर पकारान गोद पुत्र होने के कारण बेरा ढेडावा में वादी का नाम दर्ज किया जाना उचित बताया गया।

इस हेतू दो संयुक्त खातेदार वेलाराम पुत्र कुपाराम कौम सीरवी व चुना पुत्र कुपाराम कौम सीरवी के बयान कलमबद्व किये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहो द्वारा नथाराम पुत्र कूपाराम को अपना सगा भाई बताया एवं वादी के पिता का नाम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा छोडा जाना बताया गया एवं पकाराम गोद पुत्र नथाराम होने की पुष्टि की है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानो अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादी का नाम दर्ज किया जाकर वादपत्र डिक्री करना उचित समझता हूँ।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादी को सरहद मौजा नारलाई के बेरा ढेडावा के खसरा नम्बर 1943,2003,2006 से 2010,2051 से 2060 तक में स्थित 1/12 हिस्सा अर्थात वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी 1/12 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अर्थात बेरा ढेडावा में 1/48 वां हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2016 को लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र नारलाई में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- देसूरी

लास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीः-

राम उर्फ पुखराज गोदपुत्र नथाराम
सीरवी निवासी नारलाई

1. चुनाराम पुत्र कुपाजी
2.वीरमराम पुत्र कुपाजी
3. वेलाराम पुत्र कुपाजी
4.नेनाराम पुत्र कुपाजी
5. चेनाराम पुत्र रूपाजी
6.घीसा पुत्र हकाजी
7.चमनी पत्नी भगाजी
8.शोभाराम पुत्र भगाजी
9. वगताराम पुत्र भगाजी
10. पेमाराम पुत्र भगाजी
11. राजीदेवी पुत्री भगाजी
12.नोजीदेवी पुत्री भगाजी
13.पाबुदेवी पुत्री भगाजी
14.पेमा पुत्र भीमाजी
अमरा पुत्र भीमाजी
रकबा पत्नी भीमाजी
15. बदा पुत्र मोटाजी
16.जगा पुत्र मोटाजी
17.जीवाराम पुत्र सुजाजी
18.मांगीलाल पुत्र सूजाजी
19. फूलीबाई पत्नी सूजाजी
20.धनकी पुत्री सूजाजी
21. दाकू पूत्री सूजाजी
22. राजस्थान सरकार तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955एवं अन्तर्गत
ा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956 तारीख रजूः 17/08/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-....... व हाजरी ....
..........., वादीगण मिनजानिब मुद्धई व ...., प्रतिवादीगण मिनजानिब
द्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध
तवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादी को सरहद मौजा नारलाई के बेरा ढेडावा के
सरा नम्बर 1943,2003,2006 से 2010,2051 से 2060 तक में स्थित 1/12 हिस्सा अर्थात
ग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त
राजी 1/12 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अर्थात बेरा ढेडावा में 1/48 वां हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी
ख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की घोषित किया जाता है।तदानुसार राजस्व रेकर्ड में
मल दरामद किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना
वाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल
तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी
लाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर नारलाई के आज तारीख
0/06/2016 को जारी किया गया ।

हर

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला-पाली)

द्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	....	
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	....	
टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	....	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	....	
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा	....	
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं
दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला-पाली)